न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-317RAAJodhpur2023-139RTA225 Lrs of Dhannaram Vs Premsingh

स्व. श्री धन्नाराम पुत्र श्री स्व. श्री लालाराम जी, जाति माली, जरिये हजारीसिंह पुत्र स्व.श्री धन्नाराम जी, जाति माली, निवासी- जोधपुर ठिकाना आंमलिया बेरा, पुरानी भाखरी बास, सूरसागर, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. प्रेमसिंह सोलंकी पुत्र श्री लाबूराम जी सोलंकी, जाति माली, निवासी- जोधपुर ठिकाना, कनावतों का बास, गेंवा, सूरसागर, तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2013 धन्नाराम बनाम प्रेमसिंह

उपस्थित-

श्री श्याम सिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री प्रेमकुमार विश्नोई अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

निर्णय

दिनांक : 19 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2013 धन्नाराम बनाम प्रेमसिंह में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता स्व. धन्नाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 470मिन रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा ग्राम गेंवा में आने-जाने हेतु रेस्पो./अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 468 रकबा 04 बिस्वा में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 के जरिये प्रार्थी/अपीलांट के पिता का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए मे किये गये आवेदन पर सरसरी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करना था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता की फौतेदगी पर उनके वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना तथा पक्षकारान् को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस तथाकथित मौके की रिपोर्ट का मात्र अवलम्बन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, ऐसी तथाकथित रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व न तो प्रार्थी को तलब किया गया तथा न ही मौका निरीक्षण बाबत सूचित ही किया गया। जो मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं अन्य द्वारा तैयार की थी, उस रिपोर्ट से यह साबित है कि प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं अप्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में से ही प्रार्थी की भूमि तक रास्ता कायम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा विधिनुसार सविस्तार मानचित्र मौका फर्द तैयार नहीं की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त मौका फर्द के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलांट के पिता द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि खसरा नं. 470मिन में आवागमन हेतु खसरा नं. 468 के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कथन पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट स्व. धन्नाराम का जायंदा पुत्र है। अपीलांट के पिता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहने के दौरान अपीलांट के पिता का दिनांक 13.12.2018 को देहांत हो चुका था। अपीलांट के पिता द्वारा दिनांक 21.05.2018 को अपने जीवनकाल में अपीलांट के नाम वसीयतनामा निष्पादित कर खसरा नं. 470मिन रकबा 1.08 बीघा भूमि को अपीलांट के नाम वसीयत कर दी। अपीलांट के पिता की फौतेदगी के पश्चात उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है। इस कारण अपीलांट मामले में व्यथित, हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत

19.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 को खारिज फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पो. के खातेदारी खेत खसरा नं. 468 का रकबा केवल 04 बिस्वा ही है तथा उक्त खसरा किसी भी गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी खसरा नं. 470 मिन में आवागमन हेतु रेस्पो. के खातेदारी खसरा नं. 468 में सें रास्ता चाहा है, किंतु रेस्पों के खेत में सें किसी प्रकार का कोई रास्ता नही चलता है तथा न ही उक्त खसरा नं. 468 में भी आवागमन हेतु कोई गैर मुमकिन रास्ता है। अपीलांट एवं रेस्पो. दोनो की खातेदारी की भूमियो की सीमा पर वन विभाग की भूमि है। ऐसे में रेस्पो. की तरह वन विभाग की भूमि में सें अपीलांट के आवागमन हेतु भी रास्ता उपलब्ध होना स्वाभाविक है। अपीलांट द्वारा वन विभाग को मामले में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 468 मिन में मौके पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो रही है एवं मौके पर प्लॉट काटे हुए है। अपीलांट द्वारा सिविल कोर्ट में भी धारा 251 के तहत सुखाचार हेतु रास्ता चाहा गया है जो वर्तमान में मामला विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि चाहा गया रास्ता किस गैर मुमकिन रास्ते से मिलता है तथा कितनी दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

19.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट स्व. धन्नाराम का जायंदा पुत्र होने तथा वसीयत के आधार पर भूमि खसरा नं. 470मिन का खातेदार दर्ज होने से मामले में हितबद्ध पक्षकार पाया जाता है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट के पिता स्व. धन्नाराम द्वारा अपने खसरा नं. 470 मिन रकबा 01.08 बीघा में आवागमन हेतु खसरा नं. 468 रकबा 04 बिस्वा में से 30 फीट रास्ता चाहा गया है। मौका फर्द दिनांक 04.07.2016 एवं दिनांक 18.10.2016 में उक्त खसरान् की भूमियों का प्रमाणित नक्शा उपलब्ध नहीं होने से मौके पर सीमांकन के अभाव में रास्ते का विवाद को खत्म नहीं किया जाना बताया गया है तथा दोनो मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 468 की पहुंच की किसी गैर मुमकिन रास्ते से होना नहीं बताया गया है।

प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है कि रेस्पो. के खातेदारी खसरा नं. 468 का रकबा केवल 04 बिस्वा ही है। यदि उक्त खसरा में सें रास्ता दिया जाता है तो रेस्पो. की संपूर्ण भूमि रास्ते के रूप में चली जायेगी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता किस गैर मुमकिन रास्ते से जाकर मिलता है तथा गैर मुमकिन रास्ते से अपीलांट के खेत के बीच की दूरी कितनी है।

उभय पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खसरा नं. 468 एवं 470 मिन दोनो खसरे वन विभाग की भूमि से जुड़े हुए है तथा उक्त खसरान् की पहुंच किसी भी गैर मुमकिन रास्ते से नहीं है। ऐसी स्थिति

19.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि अपीलांट के पास वैकल्पिक एवं सुविधा की दृष्टि से रास्ता मौके पर वन विभाग की जमीन में से उपलब्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि मामले में वन-विभाग को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 66/2013 धन्नाराम बनाम प्रेमसिंह में पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर